प्रेस नोट

दिनांक 21.04.2026, थाना- को0 तरबगंज

जनपद गोण्डा।

थाना को0तरबगंज पुलिस द्वारा कूटरचना कर जालसाजी करने के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना को0 तरबगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 316/2026 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3),340(2), बी0एन0एस0 से सम्बन्धित 01 वांछित अभियुक्त - चंदन सिंह पुत्र भगवान दयाल सिंह निवासी उमरीबेगमगंज थाना उमरीबेगमगंज, जनपद गोण्डा को बस स्टाप गोण्डा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी रामायण सिंह पुत्र शिवनन्दन सिंह निवासी उमरीबेगमगंज थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि से सम्बन्धित गाटा संख्या की संपत्ति, जिसका वैध बैनामा पूर्व में वर्ष 1999 एवं 2002 में निष्पादित होकर क्रेता के पक्ष में स्वामित्व स्थापित हो चुका था, के बावजूद कूटरचित एवं फर्जी दस्तावेज तैयार कर पुनः अवैध रूप से बैनामा किया गया। उक्त कृत्य सुनियोजित तरीके से धोखाधड़ी, कूटरचना एवं कपटपूर्वक संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से किया गया है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0तरबगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 21.04.2026 को थाना को0 तरबगंज पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए 01 वांछित अभियुक्त- चंदन सिंह पुत्र भगवान दयाल सिंह निवासी उमरीबेगमगंज थाना उमरीबेगमगंज, जनपद गोण्डा को बस स्टाप गोण्डा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. चंदन सिंह पुत्र भगवान दयाल सिंह निवासी उमरीबेगमगंज थाना उमरीबेगमगंज, जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 316/2026 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी0एन0एस0 थाना तरबगंज जनपद गोण्डा ।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 अजय कुमार यादव
02. का0 प्रमोद वर्मा
03. का0 पंकज यादव
04. का0 प्रदीप मौर्या

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 21.04.2026, थाना कटराबाजार,
जनपद गोण्डा।

थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा हत्याभियुक्त को किया गया गिरफ्तार,

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दावच्या के नेतृत्व में थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 - 88/2026 धारा 103(1), 115(2), 352, 351(3), 118(1) बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी हत्याभियुक्त- रामसिंगार शुक्ला पुत्र जगन्नाथ शुक्ला निवासी बमडेरा डीह थाना कटराबाजार, जनपद गोण्डा को सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र के गेट कटराबाजार से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी शिव कुमारी पत्नी अन्नू चौबे निवासी ग्राम बमडेरा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा द्वारा थाना कटराबाजार में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 17.04.2025 को शाम लगभग 4 बजे वह अपने पति के साथ अपने खेत में गेहूँ काटने जा रही थी की रास्ते में विपक्षीगण हसिया, कुदाल व लाठी से हमला करके मार पीटकर वादिनी के पति की हत्या कर दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कटराबाजार में मु0अ0सं0 - 88/2026 धारा 103(1), 115(2), 352, 351(3), 118(1) बीएनएस बनाम रामसिंगार शुक्ला आदि 03 अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 21.04.2025 को थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोपी अभियुक्त 1. रामसिंगार शुक्ला पुत्र जगन्नाथ शुक्ला निवासी बमडेरा डीह थाना कटराबाजार, जनपद गोण्डा को सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र के गेट कटराबाजार से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. रामसिंगार शुक्ला पुत्र जगन्नाथ शुक्ला निवासी बमडेरा डीह थाना कटराबाजार, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 - 088/2026 धारा 103(1), 115(2), 352, 351(3), 118(1) बीएनएस थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 नितिन उपाध्याय
02. का0 अनिल पाल
03. का0 अभय वर्मा

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 21.04.2026

ऑपरेशन साइबर कवच के दृष्टिगत थाना कोतवाली नगर की साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा पीड़ित की फ्रॉड गयी 1,37,826.61/- रूपये कराए गए वापस, पैसे वापस मिलने पर पीड़ित के चेहरे पर लौटी मुस्कान, पीड़ित ने गोण्डा पुलिस को किया धन्यवादः-

जनपद गोण्डा में साइबर फ्रॉड अपराध की रोकथाम के संबंध में त्वरित कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली नगर की साइबर हेल्प डेस्क की टीम द्वारा पीड़ित की फ्रॉड गयी धनराशि को सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए धनराशि 1,37,826.61/- पीड़ित के खाते में वापस करायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आवेदक मोहम्मद रसीद निवासी पटेलनगर, घोसियाना थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली नगर की साइबर हेल्प डेस्क में .apk फाइल के माध्यम से हुए साइबर फ्रॉड के संबंध में शिकायत दर्ज करायी गयी थी। उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए थाना कोतवाली नगर की साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा जनपदीय साइबर सेल टीम की सहयोग से कार्यवाही करते हुए संबंधित बैंक से ईमेल के माध्यम से विभिन्न जानकारियां एकत्रित कर नोडल अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर तत्काल कार्यवाही करते हुए सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए पीड़ित के 1,37,826.61/- रू0 की धनराशि वापस करायी गयी। पीड़िता द्वारा अपने रूपये वापस पाकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए थाना खरगूपुर की साइबर हेल्पडेस्क की टीम को धन्यवाद दिया गया।

नोट- साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल 1930 पर सूचना अंकित कराये, सूचना विलम्ब से देने पर साइबर अपराधियों द्वारा धन निकाल लिया जाता है। धन निकलने के उपरान्त पैसे वापस होने की सम्भावना बहुत कम होती है। लोगो को साइबर ठगों से सावधान रहने की जरुरत है। किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओ0टी0पी0, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें। फ्रॉड ट्रांजेक्सन होने पर तत्काल अपने बैंक एवं थाना पर गठित साइबर सेल को सूचना दें एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल शिकायत दर्ज कराएँ।

साइबर सुरक्षा टिप्स-

01. ऑनलाइन लेन-देन में सावधानी बरतें
02. किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें।
03. सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।
04. अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें।
05. अपने डिवाइस को सुरक्षित रखें।
06. ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षित वेबसाइट्स का उपयोग करें।
07. पासवर्ड को मजबूत और गुप्त रखें।
08. ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखें।
09. साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग के मामलों में तुरंत पुलिस को सूचित करें।
10. ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में कंपनी प्रबंधन और पुलिस को सूचित करें

मीडिया सेल, गोण्डा।